

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 40/2014
संस्थापन दिनांक 30.01.2014

- 1- गरीबदास, आयु 68 साल,
पुत्र-डरु,
- 2- श्याम बाथम पुत्र-ओमी,
उम्र-38 साल, निवासीगण-पंचमपुरा,
वार्ड नं0-2, गोहद, जिला भिण्ड
- 3- गुड्डू उर्फ कमल पुत्र-नारायण,
उम्र-48 साल, निवासी बरथरा रोड, गोहद
4. जयप्रकाश, पुत्र-छोटेला, उम्र-46 साल,
निवासी-पशु अस्पताल के पास, गोहद,
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

-----अपीलार्थीगण/आरोपीगण

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री बी0एस0बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता

न्यायालय-श्री केशवसिंह, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-53/2007 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 17/01/2014 से उत्पन्न
दांडिक अपील ।

-::- नि र्ण य -::-

(आज दिनांक 25 जुलाई, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थीगण/आरोपीगण गरीबदास, श्याम बाथम, गुड्डू उर्फ कमल तथा जयप्रकाश ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0गोहद श्री केशवसिंह द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 53/2007 निर्णय दिनांक-17/1/2014 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा आरोपी/अपीलार्थीगण धारा 325/34 भा0दं0सं0के अपराध में दोष सिद्धि पाते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आरोपीगण/अपीलार्थीगण और आहत

राजू दोनों ही कृषि मजदूर हैं तथा यह भी निर्विवादित है कि पूर्व में महीपत सिंह, बहादुर सिंह, राघवेन्द्र सिंह और इस प्रकरण के आहत राजू के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक-92/2008 शासन विरुद्ध महीपत आदि का दाण्डिक प्रकरण चला था, जिसमें उन्हें विचारण न्यायालय के द्वारा दण्डित किया गया है ।

3— अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-06.01.2006 को शाम करीब 8 बजे जब घटना का राजू, बहादुरसिंह गुर्जर के खेत में बन्धा जा रहे थे तो रास्ते में रुपसिंह मिला वह गाय लिये था उनकी गाय ने उन्हें मारने का प्रयास किया तो उसने तो उसने कहा कि गाय को सम्हालो। इसी बात पर उनका मुँहवाद हो गया। उसके बाद वह लोग बंधा पर तिली काटने चले गये। दिन के एक बजे आरोपी/अपीलार्थीगण गुड्डू, श्याम, गरीबदास, व जयप्रकाश हॉकी डंडा आदि लेकर आये ओर गालियाँ देने लगे ओर कहा कि आज देखते हैं। इस पर वह कुंआ तरफ भागा तो सभी आरोपीगण ने पकड़ कर लात घूसों हांकी आदि से उसकी मारपीट की। गुड्डू ने हांकी मारी जो उसके दाहिने हाथ के पंजे में लगी। जिससे उसके शरीर में जगह-जगह चोटें आईं। फरियादी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना गोहद में अपराध क्र० 207/06 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया। फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया। उसका एक्सरे परीक्षण कराया, जिसमें दांये हाथ की मेटाकार्पल नामक हड्डी में फ्रैक्चर पाया जाने से उसके आधार पर धारा-325, भा०द०सं० का इजाफा किया गया, विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 341, 323 एवं भा०द०सं० के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपों से इंकार किया, उनका विचारण किया गया । विचारणोपरांत आरोपी/अपीलार्थीगण धारा 325/34 भा०द०सं०के अपराध में दोष सिद्धि पाते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था । जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

5— अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अपीलार्थीगण के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी और उन्हें रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है मेडीकल रिपोर्ट डाक्टर से मिलकर झूठी तैयार कराई गई है। विचारण न्यायालय ने मनमाने तौर पर दण्डाज्ञा पारित की है।

डाक्टर ने चोट गिरने से आना भी संभव बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है। इससे ही घटना संदिग्ध हो जाती है। जिसपर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है फरियादी की चोट का मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्य में भी गंभीर विरोधाभास है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है चिकित्सक और आहत के कथनों से भी तात्त्विक विरोधाभास प्रकट हुए हैं जिससे अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय व दण्डाज्ञा पारित की है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा अपास्त की जावे और अपीलार्थीगण/आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे।

6— अपीलार्थीगण/आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं, साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि मामला वर्ष 2006 से विचाराधीन है और तब से आरोपी/अपीलार्थीगण लगभग प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में आ रहे हैं। अतः चेतावनी देकर या जुर्माना से दण्डित कर छोड़ दिया जावे, जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि मामला धारा-325 भा0दं0सं0 का होकर गंभीर स्वरूप का है और आरोपी/अपीलार्थीगण उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थीगण/आरोपीगण को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे।

7— अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1— “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”
- 2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

08— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया। मूल अभिलेख के अध्ययन किया, आलोच्य निर्णय का अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट हुई है कि प्रकरण के आहत रिकू का सर्वप्रथम साक्ष्य हेतु उपस्थिति

के लिए दिनांक-11/4/2012 को संमंस भेजा गया, बाद संमंस तामील उपरांत रिकू के अनुपस्थित रहने के कारण 21/5/2012 को 500 रुपये का जमानती वारण्ट भेजा गया, जो अदम तामील वापिस प्राप्त हुआ, इसके संबंध में पुनः जमानती वारण्ट 13/8/2012 को भेजा गया था । जो बाद तामील प्राप्त हुआ और दिनांक-11/9/2012 को आहत रिकू न्यायालय में उपस्थित हुआ, किन्तु उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण उक्त साक्षी की साक्ष्य नहीं ली जा सकी और उसे आगामी दिनांक 17/10/12 के लिए पाबंद किया गया गया ।

09— तत्पश्चात् दि.-17/10/12 को सुखवीर और मुन्ना के कथन लिये गये, और राजू को जमानत वारण्ट से पुनः आहूत किया गया, किन्तु पाबंद साक्षी रिकू के अनुपस्थित रहने पर आहत रिकू के बारे में कोई आदेश नहीं किया गया कि वह उपस्थित है अथवा नहीं और उसे फिर उसके बाद कभी आहूत नहीं किया गया, जबकि वह प्रकरण का आहत होकर महत्वपूर्ण साक्षी है और अभियोगपत्र में दिनांक-17/10/12 को अन्य साक्षीगण और आहत रिकू को छोड़े जाने का लाल स्याही से उल्लेख किया गया है, जबकि आदेशपत्रिका में छोड़े जाने का कोई उल्लेख नहीं है । यह विरोधाभासी स्थिति है और न्यायाधीश का दाण्डिक मामलों में यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह स्वयं भी यह देखे कि कोई आवश्यक साक्षी परीक्षण से छूटा तो नहीं है । इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का ध्यान नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 118 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार है :-

“ जॉचों तथा विचारणों में कार्यवाही करते समय पीठासीन अधिकारियों को यह स्मरण रखना चाहिये कि उनकी स्थिति व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीशों की नहीं है, जो कि उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर से मामलों का विनिश्चय करते हैं तथा यह बात पक्षकारों पर छोड़ देते हैं कि साक्ष्य जो वह प्रस्तुत करते हैं वह पूर्ण है । उनका यह प्राथमिक कर्तव्य है कि तथ्यों का अभिनिश्चय करें और दोषी का दाण्डिक करें इन प्रयोजनों के लिए, उनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं संहिता के अंतर्गत यथेष्ट शक्ति प्राप्त है । अभियोजन, लोक अभियोजक या अभियोजन निरीक्षक द्वारा संचालित किया जाता है ; यह बात पीठासीन अधिकारी को कर्तव्य से मुक्त नहीं करती ।

10— यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक-22/11/12 को तीन गवाहों के साक्ष्य लेने के बाद आरोप लगाये, उन तीनों साक्षियों को पुनः आहत किए जाने की आवश्यकता के संबंध में केवल आरोपीगण से पूछा गया, अभियोजन से नहीं पूछा गया, ना ही

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय यह निष्कर्ष दिया कि पूर्व परीक्षित तीनों साक्षियों को पुनः आहूत किए जाने की आवश्यकता है या नहीं । जो कि धारा-217 द.प्र.सं. के तहत निष्कर्षित करना आवश्यक था और सर्वप्रथम तो विचारण प्रारंभ करने के पहले **न्यायाधीश को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि आरोप विरचित किया गया है या नहीं ।** क्योंकि आरोप विरचित के पश्चात ही विचारण प्रारंभ होता है, उसके पूर्व साक्षियों के संमंस जारी नहीं किए जा सकते हैं ।

11— अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन करने से दिनांक-11/5/2011 तक **प्रकरण आरोप तर्क के लिए चला** और दिनांक-10/11/11 को **राजीनामा वार्ता के लिए मामला नियत कर दिया गया**, उसके बाद दिनांक-17/11/11 को **अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत कर दिया गया**, जो **पीठासीन अधिकारी का प्रकरण के प्रति उदासीनता का परिचायक है ।**

12— अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में बतायी गयी घटना में अभियोजित अभियुक्तों की संख्या 4 है, कथानक मुताबिक चारों का गाली गलौज, मार्ग अवरुद्ध करने और मारपीट कर उपहृतियां पहुंचाने के लिए एक साथ मौके पर हॉकी, डण्डे आदि लेकर आना बताया गया था लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आरोप विरचित किए गये हैं, **उनमें धारा-34 भा.द.वि. के तहत कोई आरोप विरचित नहीं किया गया है एवं दो आहतगण होने से धारा-323 भा.द.वि. का (दो बार) आरोप नहीं लगाया गया है**, जो कि आवश्यक था, **जबकि दण्डाज्ञा धारा-325/34 भा.द.वि. के अंतर्गत की गयी है**, जबकि कथानक को देखते हुए **धारा-34 भा.द.वि. के तहत आरोप की विरचना भी आवश्यक है**, जिससे आरोप भी अपूर्ण प्रतीत होता है ।

13— प्रकरण के गुणदोषों को देखा जाये तो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में आहत राजू की चोटें प्रमाणित पायी और आरोपी/अपीलार्थीगण के द्वारा पहुंचाना भी माना, जिसमें से उसकी चोट नंबर-4 के लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी, जिसमें अस्थि भंजन भी पाया गया, उसके संबंध में दोषसिद्धि की है, जबकि उसकी शेष चोटें धारा-323 भा.द.वि. की परिधि के अंतर्गत आती थी । किन्तु धारा-323 भा.द.वि. में **दोषसिद्धि ना कर उससे उन्मोचित किया गया है**, जबकि उन्मोचन आरोप की विरचना के समय ही किया जा सकता है, विचारण होने के पश्चात तो या तो दोषसिद्धि होगी या दोषमुक्ति होगी और आलोच्य निर्णय कंडिका-16 में जो शब्दावली उपयोग की गयी है, उससे ऐसा आभास मिलता है कि संभवतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की मंशा धारा-71 भा.द.वि. को उपयोग में लेने की रही होगी, जिसका

हालांकि स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है । किन्तु दोषसिद्धी होने के पूर्व धारा-71 भा.द.वि. का उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसका उपयोग केवल दण्डाज्ञा अधिरोपित करते समय अनुसरणीय है । जबकि हस्तगत मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दण्डाज्ञा अधिरोपित करने के पूर्व ही उसका उपयोग कर लिया है, जो कतई उचित नहीं है ।

14— दूसरी ओर मामले में जो आरोप विरचित है, जिसमें स्वेच्छा साधारण व घोर उपहृतियां का मामला था, ऐसे में मामला धारा-71 भा.द.वि. लागू किए जाने योग्य नहीं है, इसके लिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में आहत रिकू लोहपीटा के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि उसके संबंध में जो धारा-323 भा.द.वि. के तहत आरोप लगाया गया, उसमें आरोपी/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया या दोषमुक्त किया गया । यह भी गंभीर विधिक त्रुटि है । क्योंकि निर्णय में यह स्पष्ट होना चाहिये था कि आहत रिकू के संबंध में क्या निराकरण किया गया । जबकि ऊपर के विशलेषण में यह पाया था कि रिकू जो प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण साक्षी था, उसका परीक्षण ही नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में गुणदोषों पर कोई निराकरण किए जाने के पूर्व मामला आलोच्य निर्णय अपास्त करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाना आवश्यक है । ताकि न्यायोचित निराकरण हो सके ।

15— ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दाण्डिक अपील निराकृत करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांकित-17/1/14 को अपास्त करते हुए मूल अभिलेख इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में आरोप की यथोचित विरचना करें और पुनः प्रकरण का विचारण करते हुए गुणदोषों पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुसार शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करें ।

16— इस निमित्त आरोपी/अपीलार्थीगण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम आगामी दिनांक-04/08/2014 को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें ।

दिनांक: 25 जुलाई 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर निर्णय मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड